


3



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड, केम्प उज्जैन, संभाग उज्जैन (म.प्र.)

R - 1568 - 5113

निगरानी क्र. / 2013

1. कैलाशगिर पिता हीरा गिर
 2. माँगीलाल पिता दयाराम
 3. बद्रीलाल पिता उमराव सिंह
 4. नारायण पिता उमराव सिंह
 5. करणसिंह पिता उमराव सिंह
 6. अमरसिंह पिता उपराव सिंह
- निवासीगण- ग्राम पटाडी,
तह. व जिला उज्जैन (म.प्र.)
देवास

निगरानीकर्ता / प्रतिप्रार्थीगण

विरुद्ध

सूरेश पिता कालुसिंह खाती
निवासी - ग्राम पटाडी,
तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

प्रत्यर्थी / प्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50, म.प्र.भू राजस्व संहिता- 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, टप्पा बरोठा जिला देवास, द्वारा राजस्व प्र.क्र. 4अ-13/2011-12 में दिनांक 24/09/2012 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर एवं कलेक्टर महोदय देवास द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध स्वप्रेरणा से स्वीकार कर दिनांक 18/03/2013 को पारित आदेश के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन अंदर अवधि में उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

श्री भूकेश च. पुरानी
अभिभाषक द्वारा
उज्जैन केम्प पर
प्रस्तुत
10/4/13
शिव

श्री भूकेश च. पुरानी
10-4-2013

शिव
18-4-13

R 1578-I/19 देना

24-11-2017

Absent
32/12/17

अवेकेशन की ओर कोई
उपस्थित नहीं। कलेक्टर के आदेश
दिनांक 18.3.2013 की सख्त प्रतिक्रिया
को अवकाश दिया गया। कलेक्टर
द्वारा इसे आधा पत्र स्वयंसेवा से
निगरानी की कार्यवाही करने से इन्का
किया कि आवश्यकत परसका को काम
पहुंचाने की दृष्टि से स्वयंसेवा से
निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती
है। उक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई
अवैधानिकता नहीं होने से निगरानी
अग्रिम की जाती है।

[Signature]

[Signature]
अध्यक्ष

[क. प. उ.]

2)